

1354
B
25.12.23.

ZDP ROAD 24.0 MT. WIDE

H.T. LINE 400 KV

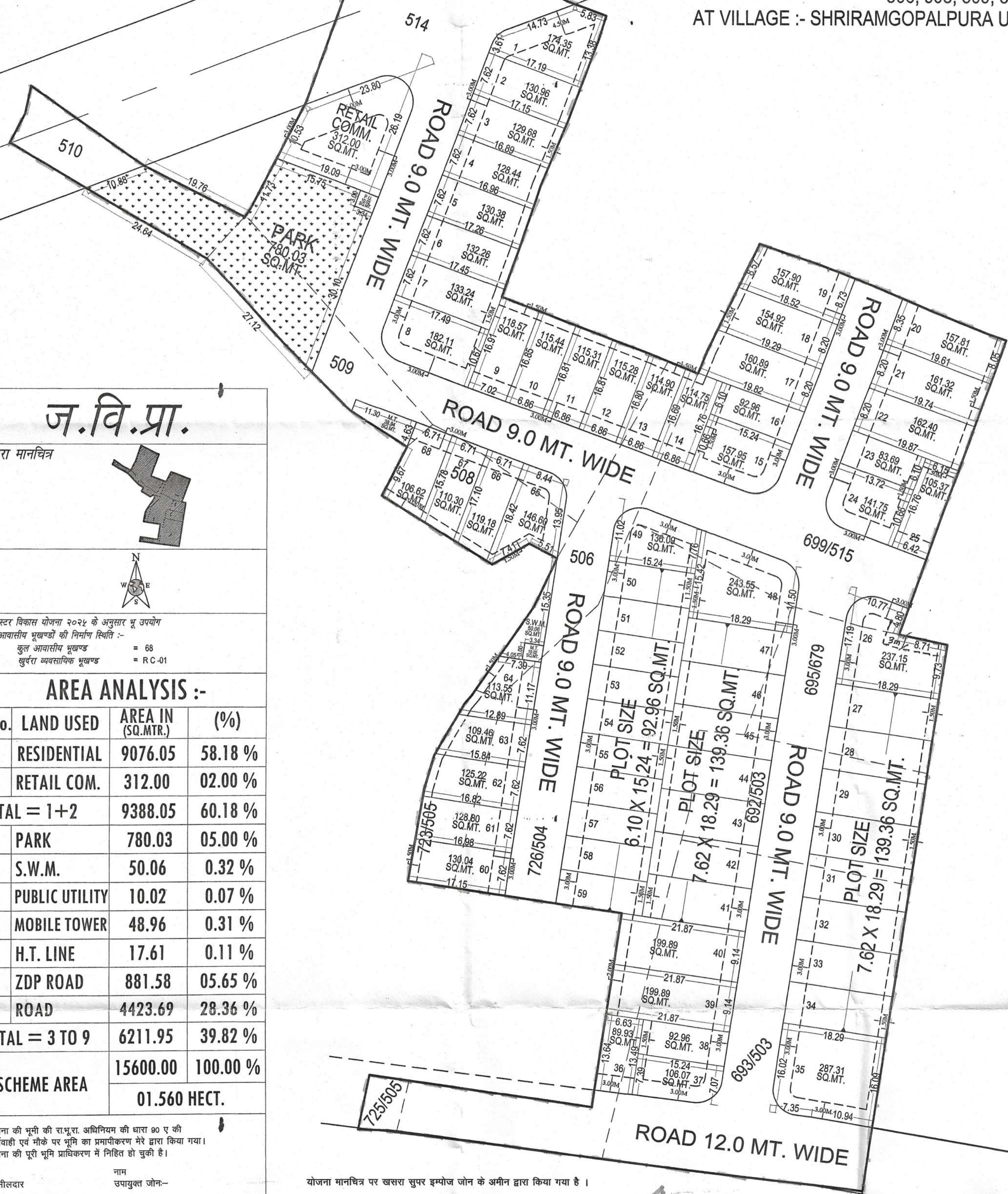
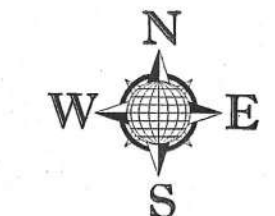
SAFETY CORRIDOR 33.20 MT. WIDE

ZDP ROAD 24.0 MT. WIDE

PROPOSED LAY OUT PLAN OF RIYASAT KRISHNAM RESIDENCY

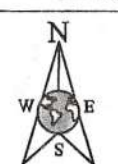
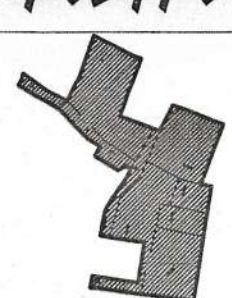
IN KHASRA NO.- 692/503, 693/503, 726/504, 723/505, 725/505,
506, 508, 509, 510, 514, 699/515, 695/679.

AT VILLAGE :- SHRIRAMGOPALPURA URF BHOJYAWAS, TEH.-: SANGANER, JAIPUR.



ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र



मास्टर विकास योजना २०२५ के अनुसार भू उपयोग
आवासीय भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
१ कुल आवासीय भूखण्ड = 68
२ कुल व्यावसायिक भूखण्ड = R.C-01

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	9076.05	58.18 %
2.	RETAIL COM.	312.00	02.00 %
TOTAL = 1+2		9388.05	60.18 %
3.	PARK	780.03	05.00 %
4.	S.W.M.	50.06	0.32 %
5.	PUBLIC UTILITY	10.02	0.07 %
6.	MOBILE TOWER	48.96	0.31 %
7.	H.T. LINE	17.61	0.11 %
8.	ZDP ROAD	881.58	05.65 %
9.	ROAD	4423.69	28.36 %
TOTAL = 3 TO 9		6211.95	39.82 %
SCHEME AREA		15600.00	100.00 %
		01.560 HECT.	

योजना की भूमि की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही एवं नोके पर भूमि का प्रमाणिकरण मेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम तहसीलदार नाम उपपुस्तक जॉन-12

बी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम:- PROPOSED LAY OUT PLAN OF RIYASAT KRISHNAM RESIDENCY

IN KHASRA NO.- 692/503, 693/503, 726/504, 723/505, 725/505, 506, 508, 509, 510, 514, 699/515, 695/679.

AT VILLAGE :- SHRIRAMGOPALPURA URF BHOJYAWAS, TEH.-: SANGANER, JAIPUR.

जॉन संख्या = 12

पैमाना :- 1:500

सहायक नगर नियोजक अति.सहायक नगर नियोजक वरिष्ठ नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT:- Cad Max Projects (P) LTD.

301, Police Tower, Opp. Police Headquarter, Lal Kothi Scheme, Tonk Road JAIPUR (R.A.) 302015
Ph: 9844113111, Mob: 9829045031
Website: www.cadmaxproj.com, e-mail: info@cadmaxproj.com

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जॉन के अमीन द्वारा किया गया है।

अमीन जॉन-12

नोट 1. कार्पर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।

2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 03.05.2023 व 23.05.2023 को हो चुकी है।

3. योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मॉक पर प्रमाणिकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।

4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आंतरिक विकास के एज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 19, 35, 37, 60, 61, 62, 64, 65 कुल भूखण्ड 8 कुल क्षेत्रफल 1195.49 वर्गमीटर है, को जमिना में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।

5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 339 वीं बैठक दिनांक 19.07.2023 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।

6. इनफॉर्मल कॉन्सॉलेशन भूखण्ड की प्लानिंग गैथ-3/पॉलिंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा।

7. योजना का यू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत शारीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के आवासीय दर्शित है।

8. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

9. बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर एवं सेटबैक जलिया (जयपुर रोजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

जयपुर विकास प्राधिकरण

अमीन जॉन-12

अनुप चौधरी

पट्टा जारी जॉन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण

J.D.A. APPROVED SCHEME
"SHREE GANESH VIHAR VISTAR"



CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor Prism Tower,
Front of Police Head Quarter,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031